2018/00546

न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर केम्प लिखमेवाला

पीठासीन अधिकारी :– सत्यवीर यादव, आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या 32/2018

प्रा.पत्र श्री रामेश्वर लाल पुत्र मनफूल जाति विश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर बाबत पुराने चल रास्ता का जमाबन्दी में अंकन करने हेतु चक 8 एम के ।

–: निर्णय :– दिनांक:–06.06.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रामेश्वर लाल पुत्र श्री मनफुल जाति विश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 8 एम के का मु.न. 1 के कि.न. 1–10–11–20–21 में एक एक बीस्वा रास्ता काफी सालो से चल आ रहा है। जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे। जिसपर तहसीलदार रायसिंहनगर की रिर्पोट ली गई। तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश पत्रांक /राजस्व/रास्ता/274 दिनांक 06.06.2018 के द्वारा निम्न प्रकार रकबा में मौके पर रास्ता चल रहा है जो निम्न प्रकार से है कि

क.स.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम /चक	प.नम्बर	मु.न.	कि.न.	रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा (है0 में)
1	मुकलावा	8 एम के	164/295	1	1/.013	टीकुराम –ओमप्रकाश पि. काछवा कोम मेघवाल सा. देह खातेदार
2	"	"	"	1	10/.012 11/.013	फूसाराम पुत्र पेमाराम कोम मेघवाल सा. देह खातेदार
3	"	"	164/294	1	20/.012, 21/013	रामेश्वर लालपुत्र मनफूलराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार

उक्त रकबा में रास्ता मौके पर चालू है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने की अभिशाषां तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा अपनी रिर्पोट में की है। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपनी रिर्पोट के साथ रिर्पोट पटवारी व नक्शा मौका व जमाबन्दी की प्रतियां व प्रा.पत्र रामेश्वर लाल ,मूल ही सलंग्न की है।

तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रकबा में रास्ता मौके पर पुराना चालू है। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–2016 के परिपेक्ष्य राजस्व(ग्रप–6) विभाग राज.जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं जिला कलक्टर श्री गगांनगर के पत्र कमांक एफ 12 (11) () राजस्व/16/5758–802 दिनांक 16.08.2016 की पालना में उक्त रास्ता काफी पुराना चालू का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार रायसिहनगर के रिर्पोट दिनांक 06.04.3018 प्रस्तावित रास्ता चालू पुराना का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार रायसिहंनगर के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज होकर नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
रायसिहंनगर
कैम्प लिखमेवाला

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
कैम्प कोर्ट
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner